बिहार सरकार
उद्योग विभाग,
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय

सं०सं०–ह०क०(10)विविध–36/2015

आदेश

1. वित्तीय वर्ष 2015–16 में मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजना के पात्र व्यक्तियों में हस्तकरघा बुनकरों के अतिरिक्त रंगाई कार्य से जुड़े रंगरेज आर्टिजन को शामिल किया गया । इन्हें बुनकरों की तरह 15,000/– रू० का रंगाई हेतु उपकरण/साज सज्जा क्रय करने हेतु, 40,000/–रू० कर्मशाला निर्माण हेतु तथा 5,000/–रू० कार्पस फंड हेतु उनके चालू आर्टिजन क्रेडिट कार्ड खाता में उपलब्ध कराने हेतु सीधे उनके खाता में उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। रंगाई कार्य से जुड़े रंगरेज आर्टिजन, निम्न कार्य करने वाले व्यक्ति होगें–

(क) वस्त्र बुनाई हेतु धागा की रंगाई करने वाले,
(ख) तैयार वस्त्र की रंगाई करने वाले,
(ग) तैयार वस्त्र पर हस्तचालित छपाई करने वाले,

इनके पात्रता की अन्य शर्ते बुनकरों के समान होगी।

2.उक्त के अनुसार पात्र व्यक्तियों को संलग्न विहित प्रपत्र में आवेदन जमा करना होगा। इनके चयन की प्रक्रिया वही होगी। जो बुनकरों के लिए इस योजना में निर्धारित की गई है।

3. वित्तीय वर्ष 2015–16 इस योजना का अंतिम वर्ष है। अतः इस योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार कर क्षेत्र में जाकर पात्र व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के आदेश ज्ञापांक–629 दि0–31.03.15 द्वारा पदाधिकारीयों का तीन टीम गठन किया गया है। इनकी देख–रेख में तकनीकी पर्यवेक्षकों को कलस्टर/क्षेत्र/जिला आवंटित किया गया है।

उक्त टीम एवं तकनीकी पर्यवेक्षकों को आदेश दिया जाता है कि वे संलग्न आवेदन पत्र में रंगाई कार्य से जुड़े रंगरेज आर्टिजन जिनकी पात्रता कंडिका 1 में निर्धारित की गई है, से आवेदन प्राप्त करेगें। इनके बीच योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करेगें।

निदेशालय का आदेश ज्ञापांक–629 दि0–31.03.15 को इस हद तक संशोधित किया जाता है। इसमें निहित अन्य सभी आदेश यथावत् रहेगें।

विश्वासभाजन

निदेशक
हस्तकरघा एवं रेशम
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1143 दिनांक– 22/6/15

प्रतिलिपि– श्री उमेश कुमार, उप उद्योग निदेशक, श्री आशुतोष विनय कुमार, तकनीकी पर्यवेक्षक, श्री आशुतोष कुमार मिश्रा, उप उद्योग निदेशक, श्री रामवृक्ष रविदास, पर्यवेक्षक, श्री अशोक कुमार, सहायक उद्योग निदेशक, मो0 इश्तियाक अहमद, विपणन निरीक्षक, श्री कृष्णदेव रजक, बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, भागलपुर/श्री अब्दूल मन्नान, बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र, शेखपुरा, नालन्दा श्री श्री राम सिंह, बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र, कांको जहानाबाद/श्री मनोज पाठक, बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र, चाकन्द, गया/श्री हेमन्त कुमार, केन्द्रीय डिजाईन केन्द्र, राजेन्द्रनगर पटना/श्री रजनी कान्त रंजन, उप विकास पदा0(वस्त्र) का कार्यालय, मुजफ्फरपुर/ श्री अशोक देव, तकनीकी पर्यवेक्षक, सहायक उद्योग निदेशक, (रेशम) पटना सम्प्रति प्रतिनियुक्त जिला उद्योग केन्द्र, बांका/ श्री ओम प्रकाश सिंह, बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र, ओबरा, औरंगाबाद/ श्री उपेन्द्र कु0. वर्मा, उप विकास पदा0(वस्त्र) का कार्यालय, भागलपुर/ श्री धमेन्द्र गोड, बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र, अमरपुर बांका/ श्री महेश कुमार, उप विकास पदा0(वस्त्र) का कार्यालय, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित/उप विकास पदाधिकारी(वस्त्र), गया/भागलपुर/मुजफ्फरपुर/दरभंगा, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, पटना/नालन्दा/ रोहतास/मधुबनी/ सिवान/ नवादा/ औरंगाबाद/ बांका, प्राचार्य बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, भागलपुर, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (ह0) राजेन्द्रनगर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
हस्तकरघा एवं रेशम
बिहार, पटना।

E:\Handloom Shman Shakha, c drive\Dilip kumar\Aanand Gi\Aadesh

मुख्यमंत्री समेकित हस्तरकघा विकास योजनान्तर्गत लाभ लेने हेतु रंगाई कार्य से जुड़े रंगरेज आर्टिजन का आवेदन पत्र

स्वहस्ताक्षरित फोटो

1. आवेदक का पूरा नाम–श्री / सुश्री..

2. पिता / पति का नाम–..

3. आयु–...जन्म तिथि–...

4. लिंग (पुरूष / महिला)..

5. श्रेणी (सामान्य / एससी / एसटी / अल्पसंख्यक) (कृपया इंगित करें)...

6. वर्त्तमान निवास का पता–..
....

7. स्थायी निवास का पता–..
....

8. फोन नं0 / मोबाईल नं0 (यदि हो)..

9. आर्टिजन कार्ड नं0 / पहचान पत्र नं0 / अन्य कोई आई0 डी0 सं0–...
(आई0डी0 दस्तावेज का नाम)..
(स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)

10. किस कार्य से जुडें हैं (रंगाई / छपाई)..
(एवं इसके लिए किस तरह का उपकरण / उपस्कर व्यवहार में लाया जा रहा है।)..........................

11. रंगाई / छपाई का अनुभव–..

12. वर्त्तमान बैंक खाता–(खाता सं0)–..
(a) बैंक का नाम–... (b) शाखा का नाम–...

मैं एदत् द्वारा घोषित करता हूँ कि उपर्युक्त व्यौरे हमारी जानकारी एव विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है। गलत पाये जाने पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा हमारे विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान–
दिनांक–

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का नाम–